91/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/3/17	वकील वादी द्वारा वादी सं. 1 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 25/5/17 को पेश हो।	राजकुमार
	25/5/17 पीठासीन अधिकारी के आज न्यायालय से बाहर दौरे/अवकाश ... कार्य में व्यस्त रहने के कारण ... पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 13.6.17 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर	
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2017	
13.6.17	पत्रावली कैम्प कोर्ट ... में पेश हुयी। वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनुवतिया के हाल ख. नं. 453, 454, 455, 457 किता 4 रकबा 0.61 की आराजी वादग्रस्त है। उक्त आराजी में वादीगण के पिता केसराचंद जी अपने ... की ... के दिनांक 23.7.1982 को गोद गये ने स्व. केसाराम को ... ने अपने जीवनकाल में हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार गोद लिया था। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी	

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है जिस पर उनका काबिज काश्त चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी ग्यारसी पत्नी चांदमल के नाम दर्ज चली आ रही है अतः आराजी मुताल्का का खोलाता वादीगण व प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र की स्वीकारोक्ति बाबत इकबालिया जवाब दावा पेश किया। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में ग्यारसी पत्नी चांदमल के नाम दर्ज है उक्त आराजी के अतिरिक्त ग्राम रानपुरा (हम्मु.) के खसरा नं. 2002, 2004, 2005 किता 3 रकबा 0.58 की आराजी भी ग्यारसी पत्नी चांदू के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि अनेकिता के भारतानन्द की चांदमल पुत्र नाथू द्वारा गोद लिया गया था जिसके समर्थन में दायोपरित शपथ पत्र

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत /कैम्प कोर्ट

आदेशानुसार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
व पंचायत की लिखत पेश की है। वादीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि चांदमल व ग्यारसी की पुत्री भंवरी बाई फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी 1 व 2 है किन्तु वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में पुख्ता साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है जो उनके कथनों की ताईद करती हो।	
प्रकरण मुख्यतः चांदमल/ग्यारसी की विरासत का है वादीगण द्वारा उक्त विरासती नामा. के लिये स्थानीय काम कार्यवाही की गयी यह पत्रावली पर स्पष्ट नहीं है। वादी व प्रतिवादी पक्ष सहमत होने पर उनके द्वारा विरासत की कार्यवाही नियमानुसार करनी चाहिये।	
अतः ग्राम हनुवंतिया के ख.नं. 453, 454, 455, 457 किता 4 रकबा 0.61 व ग्राम रामपुरा (हनु.) के ख.नं. 2002, 2004, 2005 किता 3 रकबा 0.58 की आराजी पर वादीगण के वाद का निस्तारण इस आशय से किया जाता है	
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर मृतक खातेदार की विरासत की जांच कर प्रकरण का निस्तारण धारा 135(2) राज. भू.रा. अधि. 1956 के अनुसार करावे पश्चात खाता खाते दर्ज करें। पत्रावली मिसल शुमार हो कर नम्बर [illegible] हो व दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट लोहरवाड़ा